IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सहरसा जिला में स्थानीय संसाधनो का विकासः एक भोगोलिक अध्ययन

SHAMBHU KUMAR
Rearch Scholar
Department of Geography
B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

Abstract

मानवीय आर्थिक कार्यो में कृशि कई दृश्टियों से महत्वपुर्ण है। इस प्रकार कृशि प्राकृति वातावरण पर आधारित है , जिसका मानव अपनी क्षमता तथा आव"यकतानुसार विकासोन्मुख दि"ाा की ओर सं"ोधन करता है। कृशि को प्रभावित करने वाली भौतिक आर्थिक, संस्कृतिक एवं ऐतिहासिक द"ाआं में क्षेत्रिय विभिन्ता के फलस्वरूप न केवल कृशि पद्धतियों, फसलों के प्रतिरूप उनके उत्पादन तथा उद्देश्य मे ही बल्कि उसकी प्रकृति में भी प्रादे"िाक विभिन्नता मिलती है। अतः कृशि प्रदे"ाो का सीमांकन तथा वर्गीकरण न्यायासंगत प्रतित होता है।

Keywords- कृशि, संसाधन, भूमि उपयोग, क्षेत्रिय विभिन्नता

परिचयः– सहरसा जिला के अधिका"ा जनजाति गरीब किसान है, इस जिले की अधिका"ा जनसंख्या कृशि पर आश्रित है फिर भी कृशि का विकास सही ढंग से नही हो पाया है। यहाँ आज भी कृशि में मूलभूत सुविधाओ की अभाव है। जनजातिय समुदाय में यह समस्या और भी जटिल है। इनके पास भूमि कम है। कृशि संबंधी संसाधनों और जागरूकता की कमी तथा अि"ाक्षा एवं सरकारी उदासीनता है।

अध्ययन क्षेत्रः– सहरसा जिला कमला एवं कोसी तथा इनकी सहायक नदियों के दोआब में स्थित है। इसके उत्तर में सुपौल एवं मधेपुरा जिला दक्षिण में खगड़िया जिला, पूर्व में मधेपुरा जिला और पि"चम में दरभंगा जिला स्थित है। सहरसा जिला कमला एवं कोसी तथा इनकी सहायक नदियों के दोआब में स्थित है। इसके उत्तर में सुपौल एवं मधेपुरा जिला, दक्षिण में खगड़िया जिला, पूर्व में मधेपुरा जिला और पश्चिम में दरभंगा

जिा स्थित है। सहारसा जिला बिहार के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। 2011 ई0 में जिला की जनसंख्या 1897102 एवं जनसंख्या वृद्धि दर 25.79 प्रति"ात है। वर्त्तमान समय में यहाँ की 54.57 प्रति"ात जनसंख्या ही साक्षर है। साक्षरता वृद्धि एक समान रूप से हर जगह नही मिलती है फलतः समान रूप से संसाधनो का विकास नही हुआ है। कुछ प्रखण्डों में संसाधनो की पहचान अभी भी आव"यक है। सहरसा जिला की कुल जनसंख्या 1897102 (2011) है। द"ाकीय वृद्धि दर 25.79 प्रति"ात है। जनसंख्या घनत्व 1125 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है। सहरसा जिला कोसी, तिलाबे, ढेमरा आदि नदियों के द्वारा लाए गए बाढ़ से भी काफी प्रभावित होता ह जिसका प्रभाव जनसंख्या के आकार और अन्य वि"ोशताओं पर पड़ता है।

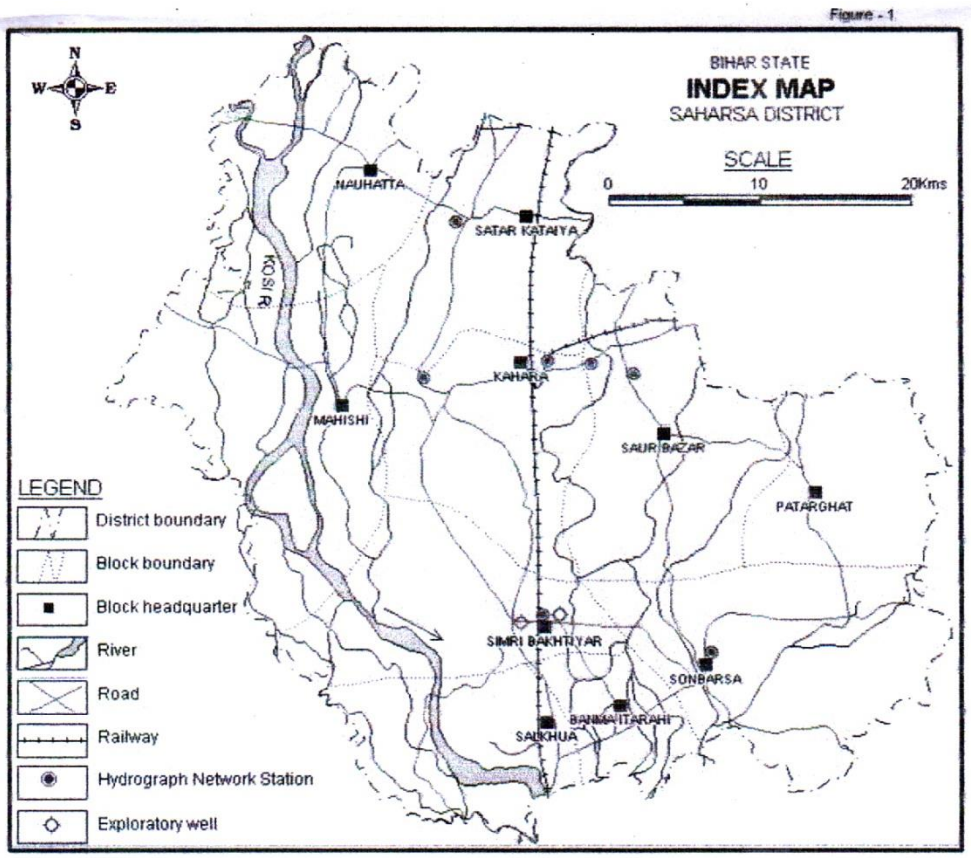

सहरसा जिले में वर्शा भूजल के रिचार्ज का प्रमुख साधन है। मासिक वर्शा के आँकड़े बताते हैं कि 85 प्रति"ात वर्शा मानसून काल में होती है। अध्ययन क्षेत्र में तापमान सामान्यतः 27° सेल्सियस से 38° सेल्सियस रहता है लेकिन कभी–कभी यह 44° C तक पहूँच जाता है। यह पूरा जिला जलोढ़ मिट्टी से ढ़का है।

उद्दे"य (Objectivity) प्रस्तुत भाोध पत्र का प्रमुख उद्दे"य निम्नलिखित है :–

1. सहरसा जिला के कृशि विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना का अध्ययन करना।
2. कृशि उत्पादन नई–नई तकनीकी पर उधोगो की स्थापना की संभावनाओ की समीक्षा करना।
3. इन तथ्थों का अवलोकन करना की आधुनिक कृशि तकनीक के माध्यम से सहरसा जिला की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है।
4. सहरसा जिला की उपजाऊ भूमि का समावे"ाी एवं सत्तु उपयोग के द्वारा अधिकतम फसलो का उत्पादन।
5. सहरसा जिलों में बहुफसली कृशि को कृशि जलवायु क्षेत्र के अनुरूप बढ़ावा देना।

प्रविधि (Methodology) किसी भी भाोधकार्य को पूर्ण करने के लिए विधिक्षेत्र की आव"यकता होती है। प्रस्तुत भाोध पत्र तैयार करने मे प्राथमिक ऑकड़ा का सहारा लिया गया है। क्षेत्र में जाकर प्र"नावली बनाकर किसानों से कृशि सम्बंधी जानकारी की गयी और किसानों की मनोवृत्ति एवं जागरूकता को ध्यान में रखकर यह लेख तैयार किया गया है। प्रखण्ड में जाकर प्रखण्ड कृशि पदाधिकारी से भी कुछ ऑकड़ा किया गया है।

भाोधलेख की संकल्पना :–

1. प्रखण्ड की पुरी जमीन जलोढ़ मिट्टी से बनी खादर संरचना है तथा एक समान संरचना को संकेत करती है।
2. प्रखण्ड के सभी गाँवो की 90 प्रति"ात से अधिक भूमि कृशि योग्य है।
3. किसानों में जागरूकता है।
4. कृशि करने का तरीका परम्परागत एवं आधुनिक है।
5. पुरा भाोध क्षेत्र दलहनी फसल की वि"ाश्टता रखता है।

विवेचन (Discusion)

मनुश्य ही वह सर्वश्रेश्ठ संसाधन है। जहाँ से अन्य संसाधनो का विकास प्रारंभ करने में योगदान प्राप्त होता है। मनुश्य से ही अन्य संसाधनो एवं तत्वों को महत्व मिलता है। कृशि भूगोल, भूगोल की एक नवीन भााखा के रूप में विकसित हुआ है। सहरसा जिला के धरातलीय बनावट, वर्शा की मात्रा प्राकृतिक वनस्पति के आवरण मिट्टी के गुण एवं सामाजिक संस्थागत संरचना पर ही आधारित है। यहाँ ग्रामीण भूमि का सर्वाधिक भाग कृशि क्रियाओ में संलग्न है। जिससे स्पश्ट ह कि यहाँ का आर्थिक विकास मुख्य रूप से कृशि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। यहाँ की ऊसर एवं गैर कृशि योग्य भूमि 1.67 प्रति"ात ह जिसके अन्तर्गत वे सभी भूमि आती है, जो व्यावहारिक दृश्टिकोण से कृशि के लिए अनुपजाऊ अनुनयोगी तथा बेकार है और जिसे अनुपयोगी मानकर मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में किसी भी रूप में प्रयोग नही किया जा रहा है।

भूमि का दुरूपयोग यहाँ कई रूपों में मिलता है। जैसे– कई वर्शो तक परती भूमि के रूप में खेतों का खाली पड़ा रहना एक फसल होने के प"चात दुसरी फसल न लेना, नकदी फसलों के स्थान पर परम्परागत फसलों का उत्पादन करना, मृदा में पोशक तत्वों की क्षतिपूर्ति को बनाए रखने हेतु उपयुक्त फसल चक्र न अपनाना एवं मृदा परीक्षण के बिना ही उर्वरको का प्रयोग करना आदि। भूमि के इस प्रकार के दुरूपयोग से जहाँ एक ओर भू–क्षरण एवं मृदा–उर्वरको–हरण जैसी समस्यायें पैदा होती है। वहीं दूसरी ओर उपलब्ध भूमि संसाधन का हमें पुरा लाभ भी नही मिल पाता है।

भूमि उपयोग :– सहरसा जिले में भूमि उपयोग एक ऐसा नवीन कार्य है जो एक ि"ाल्पकार अभियंता एवं अनु"ाासक द्वारा किये गये सृजानात्मक कार्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः समय–समय पर इसे लचीला बनाकर भूमि के प्रत्येक एकड़ का अनुकूलतम उपयोग नि"िचत करना चाहिए। नियोजन हमेशा भविश्य एवं क्षेत्रीय समाज की परिवर्त्तन के अनुरूप होना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र में सुनियोजित भूमि उपयोग हेतु प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है :–

1. भूमि का तकनीकी उपयोग :– प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र के 'ास्य–स्वरूप में परिवर्त्तन की आव"यकता हैं साथ ही अधिकतम उम्पादन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त फसल चक्र अपनाना भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में खाद्यनों एवं नकदी फसलों को प्रमुखता देना अधिक लाभप्रद होगा प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा की उर्वरता को बनाए रखने हेतु कृशकों को वैज्ञानिक फसल चक्र का निर्धारण क्षेत्र की पारिस्थितिक द"ाओं के अनुरूप होना चाहिए।
2. अतिरिक्त कृशि– भूमि का सृजन – यद्यपि भाुद्ध कृशि भूमि में वृद्धि की संभवनाएँ अधिक नही है, फिर भी यहाँ पर लगभग 5–6 प्रति"ात भूमि कृशि योग्य होते हुए भी किन्ही कारणों से अकृशित है जिसका सुनियोजित भू–व्यवस्था, जल व्यवस्था एवं फसल–व्यवस्था को अपनाकर सुधार करने से जहाँ एक ओर अतिरिक्ति कृशि भूमि का सृजन होगा वहीं दूसरी ओर ग्रामीण बेकारी को कम करने के कारगर उपाय स्वरूप स्थानीय रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होगे।
3. ऊसर भूमि का सुधार– यद्यपि 'ऊसर' को कृशि योग्य भूमि किटाणु कहा जाता है, परन्तु आधुनिक तकनीको से इसका सुधार भी संभव है, जिसके लिए लगातर भाोध कार्य हो रहे है। अध्ययन क्षेत्र मं 1.67 प्रति"ात भूमि ऊसर होने के कारण कृशि अयोग्य संवर्ग में है। जिस पर कृशि असंभव नही परन्तु कठिन अव"य है। ऊसर जमीन के सुधार हेतु जिप्सम का प्रयोग सर्वोत्तम एवं सफल तकनीक है।
4. जल संसाधन का सही नियोजन व प्रबंधन – सहरसा जिला में सतही और भू–जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस जिले में चौर, चोरी और मन है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है इसका विकास कर हम इस जल को सिंचाई के लिए मछली पालन, सिंघाड़ा की खेती और पर्यटन विकास के लिए प्रयोग कर सकते है और इस जिले के कृशि अर्थव्यवस्थाओ को सुदुढ़ कर सकते है।

कृशि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ – कृशि पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करने, कृशको की मौसमी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने, रोजगार के नये अवसर प्रदान करने तथा सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या के आर्थिक एवं सामाजिक–स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यहाँ के कृशि क्षेत्र मे रोजगार की अनेक संभावनाएँ है जैसे– 1. क्षेत्र में दुग्ध पशुपालन, भेड़ एवं बकरी पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन एवं मतस्य पालन को प्रोत्साहन देना चाहिए।

2. क्षेत्र में छोटी सिंचाई परियोजनाओं की सहायता से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में सिचाई का विस्तार किया जाये। इससे रोजगार में वृद्धि होगी।

3. फसलों में सब्जियों सबसे अधिक श्रम–प्रधान मानी गयी है, अतः अधिक मूल्य और अधिक श्रम प्रयोग वाली फसलो अर्थात सब्जियों एवं फलों की पैदावार को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

4. दस से बारह एकड़ अधिकतम जोत तय करने के पश्चात बची अतिरिक्त भूमि का छोटे तथा सीमान्त किसानों में पुनर्वितरण किया जाना चाहिये।

5. बेराजगार परिवारों को गैर–कृशि योग्य भूमि, परती भूमि एवं कृशि योग्य, बंजर भूमि पर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जानी चाहिए।

6. छोटे किसानों, सीमान्त कृशको और भूमिहीन श्रमिको के लिए विकास एजेंसियों को रोजगार और स्वरोजबार के कार्यक्रम बनाने चाहिए।

Conclusion – हम कह सकते है कि कृशि सहरसा जिले की रीढ़ है, इसमे द्वितीय हरित क्रांति लाने की जरूरत है। मैं अपने इस लघु भाोध पत्र के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए इस जिले के भूमि के नियोजन पर पर्याप्त रूप से ध्यान दे क्योंकि अगर कृशि विकास को तीव्र किया जाए तथा बढ़ती हुई जनसंख्या से कृशि क्षेत्र पर बढ़ता हुआ जनभार घटान की दि"ाा में ठोस कदम उठाया जाए तो कृशि में व्याप्त प्रच्छन्न बेकारी में भी कमी हो सकती है और क्षेत्र सर्वांगीण विकास हो सकता है। अतः कृशि को नवीन तकनीक पर विका"ाील करना अति आव"यक है।

संदर्भ सूची :–

1. तिवारी, ए (2002) परती भूमि पर बागवानी से रोजगार की सभावनाये, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, वर्श 45, अंक–11, पृश्ठ–32
2. स्टाम्प, एल.डी. (1962) द लैंड ऑफ ब्रिटेन : its use and misuse, London P. 426
3. राउत सुरेन्द्र, भारती आ"ीश, नैनी बिहार समग्र बिहार में कृशि पृश्ट–109, 113
4. हैसुन माजिद (2003) :– कृशि भूगोल अनुवादक डा. एल0 एन0 वर्मा, रावत पब्लिके"ान जयपुर एवं नई पृश्ट सं0–106
5. Sinah. V.N.P Nazim Ms Amad p (2015) बिहार का भूगोल राजे"ा पब्लिके"ान, नई दिल्ली
6. उमाहिया कुमार कृश्ण (1993) कृशि विकास की समस्यायें मित्तल पब्लिके"ान।
7. बिहार सरकार का कृशि रोड़ मैप 2012–17